भारत INDIA
सत्यमेव जयते
बीस रुपये TWENTY RUPEES

२५१

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रं0......... निग / 3224 / II / 15 सन् 2015

सट्टू तनय गंगा लुहार (विश्वकर्मा)

निवासी ग्राम ककरदा तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.------------**आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम

1– किशनलाल तनय रंजीता चमार आयु 46 वर्ष

2– रज्जू तनय भॅंगिया चमार आयु 42 वर्ष

3– नथुवा तनय उमराव चमार (मृत)

वारसान 1– दुरजना 2– गंगादीन पुत्रगण स्व. श्री नथुवा चमार

समस्त निवासीगण ग्राम बरद्वाहा तह0 व जिला छतरपुर म.प्र.

4– शासन म0प्र0 -------- **अनावेदकगण**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के स्व.निग.प्र.क्रं. 20/स्व.प्रे.निग./013–14 मे पारित आदेश दिनांक 19.3.2015 से दुखित होकर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर विनय प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि आराजी खसरा नं. 760, 761, 762 रकवा क्रमशः 1.92 एकड़, 3.56 एकड़ एवं रकवा 3.28 एकड़ कुल किता–3 कुल रकवा 8.76 एकड़ स्थित ग्राम ककरदा तह0 व जिला छतरपुर की आराजी है जिस पर पूर्व मे आवेदक के पिता स्व0 गंगा लुहार का कब्जा रहा है और वेहीं उक्त आराजी पर खेती करते रहें है उनकी मृत्यु के बाद आवेदक उक्त आराजी पर खेती कर रहा है तथा उक्त आराजी पर आवेदक का सन् 1989–90 से सन् 1997 तक राजस्व रिकार्ड मे कब्जा दर्ज है । इसके पूर्व उक्त आराजी निस्तार पत्रक एवं चारागाह की भूमि रही है जिस पर आवेदक एवं उसका पिता उक्त आराजी पर खेती करते रहे है तथा उर्दा, तिली एवं गेहूँ की फसल बोते रहे है तथा आज भी बोई जा रही है एवं इस वर्ष भी तिली, उर्दा की फसल आवेदक द्वारा बोयी गई है।

30-9-15
K. Dwivedi

2– यह कि उक्त आराजी को आवेदक एवं आवेदक के पिता गंगा लुहार ने परिश्रम करके जोतनेके योग्य एवं समतल बनाई थी तथा जिस पर आवेदक ने परिश्रम से उक्त आराजी पर कुऑं खोदा है तथा उसी कुंये पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है उक्त आराजी पर अनावेदकगणों का कभी भी राजस्व रिकार्ड मे कब्जा दर्ज नहीं रहा है फिर भी शासन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3224-दो/2015 जिला छतरपुर सट्टू विरूद्ध किशनलाल व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 20/स्व.प्रे.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-09-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	